## कार्यालयः— वन प्रमण्डल पदाधिकारी , कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू।

# सूचना

## "ईच्छा की अभिव्यक्ति"

पलामू व्याघ्र आरक्ष, झारखण्ड राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए प्राकृतिक वन में हाथी पर भ्रमण करना एक आकर्षण का केन्द्र है। अतः पलामू व्याघ्र आरक्ष द्वारा एक हथिनी का क्रय करने का निर्णय लिया गया है। यह क्रय निम्न शर्तों के अधीन की जाएगीः—

1. नर हाथी का क्रय नहीं किया जाएगा।
2. हथिनी के मालिक के पास देश के किसी भी राज्य के मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक के स्तर से निर्गत Property right का प्रमाण—पत्र होना अनिवार्य होगा।
3. हथिनी को पलामू व्याघ्र आरक्ष के बेतला प्रक्षेत्र तक पहुंचाना उसके मालिक की जिम्मेवारी होगी।
4. प्रारम्भ के 10—15 दिनों तक हथिनी के मालिक को बेतला में रूकना होगा एवं बेतला के महावत से हथिनी की दोस्ती/जान—पहचान में सहयोग करना होगा।
5. हथिनी Sub-adult (8—12 वर्ष) के बीच की होनी चाहिए।

हथिनी के वैसे मालिकों से जो उपरोक्त शर्तें पुरा करते हैं, सूचना प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्रस्ताव एवं विक्रय मुल्य अपेक्षित है।

Sd/- 22/4/17

*वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया,*
*व्याघ्र परियोजना, पलामू।*

Sd/- 22/4/17